

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायत राज (प्रा.शि) विभाग राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्राशि/बजट/बी-4/2019-20/

दिनांक:- 30.7.2019

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

पंचायत समिति :- अनुपगढ (श्रीगंगानगर)

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके मांग-पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 111- सर्व शिक्षा अभियान , (03)- शिक्षा गारन्टी स्कीम (00)- (04) चिकित्सा व्यय (राज्य निधि) एवं (केन्द्र सहायता) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये निम्नानुसार कार्यालयों को गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2008/2013 के तहत प्रकरण की जाँच करने के उपरांत ही नियमानुसार किया जावे।

क्र० सं०	ऑफिस आई.डी.	सीबीईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में।	विशेष विवरण
1.	1460	अनुपगढ (श्रीगंगानगर)	Ca / 90400 SF / 22754	श्री संजय कुमार महेशवरी अध्यापक राउप्रावि न० 4 के स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
		योग	113154	

(अखरे रूपये एक लाख तैहरा हजार एक सौ चौपन मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 5 (थ-75) कोष/IFMS/ कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.13 के तहत IFMS अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक माह की 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 03 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायत
राज (प्रा.शि) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलात्र अनुभाग कार्यालय हाजा
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर
5. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमति.....
6. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी